<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

रिट याचिका क्र. 3209/1992

उधो सिंह एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

म.प्र. राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़) एवं अन्य

आदेश

9-3-2010 को सूचीबद्ध करें

हस्ता/-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

याचिकाकर्ता उधो सिंह एवं अन्य

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी म.प्र. राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़) एवं अन्य

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के वकील श्री अनिल कुमार पांडे,

श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता राज्य/प्रतिवादी संख्या 1, 3 और 4 के लिए

प्रतिवादी क्रमांक 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ I

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

आदेश

(09 मार्च, 2010 को पारित)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत इस याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-5-1992 (अनुलग्नक पी-7) और कलेक्टर के आदेश दिनांक 23-3-1987 (अनुलग्नक पी-4 का भाग) और पूर्व मालगुजार के पक्ष में तालाब का स्वामित्व करने के आदेश की विधिकता, वैधता और औचित्य पर प्रश्न उठाया है।

2. याचिकाकर्ताओं का प्रकरण यह है कि ग्राम बोरिया, तहसील साजा, जिला दुर्ग में खसरा क्र. 100 पूर्व मालगुजार चमरू ने उक्त आदेश के विरुद्ध कोई प्राथना या पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया और ग्रामीणों के निस्तारी अधिकार राजस्व अभिलेख में अंकित किए गए। उपरोक्त वाद-ग्रस्त तालाब पूर्व-मालगुजार का था और जिसेको मध्य प्रदेश स्वामित्व अधिकार उन्मूलन (संपदा, महल, अलग भूमि) अधिनियम, 1950 (अब से 'अधिनियम, 1950') के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत उसके पक्ष में नहीं बचाया गया था। पूर्व मालगुजार चमरू ने उक्त आदेश के विरुद्ध कोई प्रार्थना या पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया और ग्रामीणों के निस्तारी अधिकार राजस्व अभिलेख में दर्ज किए गए । तालाब का क्षेत्रफल 2.34 एकड़ है। पूर्व मालगुजार ने तालाब को अपने नाम पर अंकित करने के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (इसके पश्चात 'संहिता' 1959') की धारा 57(2) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने 15-5-1968 को आदेश दिया कि यह राज्य में निहित रहेगा, यद्यपि, अतिरिक्त कलेक्टर, दुर्ग के अपीलीय न्यायालय ने 26-8-1968 के आदेश के अंतर्गत आदेश दिया कि विषयान्तर्गत तालाब को चमरू के नाम पर अंकित किया जाए। आयुक्त, रायपुर के समक्ष अपील का निस्तारण 13-6-1969 को इस टिप्पणी के साथ किया गया कि ग्रामीणों के निस्तारी और प्रथागत अधिकारों की रक्षा की जाएगी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार अपर कलेक्टर, दुर्ग विषयान्तर्गत तालाब पर चमरू का नाम अंकित करने का आदेश नहीं दे सकते

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थे। उक्त चमरू द्वारा निस्तार पत्रक में संशोधन के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ की गई, जो अंततः राजस्व मंडल तक गई। राजस्व मंडल ने अपने आदेश दिनांक 2-5-1992 (अनुलग्नक पी-7) के अंतर्गत , जो इस रिट याचिका में चुनौती के अधीन है, निर्देश दिया कि वाद-ग्रस्त तालाब को निस्तार पत्रक में दर्ज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे कभी भी अलग नहीं किया गया है और निस्तार पत्रक में दर्ज नहीं किया गया है राजस्व मंडल द्वारा यह देखा गया है कि तालाब अस्तित्व में नहीं है और इसलिए, भूमि पर भू-राजस्व का निर्धारण उचित है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्व मंडल को अतिरिक्त आयुक्त, रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-12-1987 (अनुलग्नक पी-6) में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य/प्रतिवादी संख्या 1, 3 और 4 के विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है और रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की है।

5. इस तथ्य के पश्चात कि. 22-6-2007 को एस.पी.सी निर्गमित किया गया था। परन्तु प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

6. अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश दिनांक 13-6-1969 (अनुलग्नक पी-1) के अंतर्गत आयुक्त, रायपुर संभाग ने चमरू की अपील पर निर्देश दिया है कि उक्त चमरू तालाब का मालिक होगा लेकिन तालाब में ग्रामीणों का निस्तारी अधिकार होगा। अपर आयुक्त, रायपुर द्वारा दिनांक 14-12-1987 को पारित आदेश अनुलग्नक पी-2 द्वारा निर्देशित किया गया था

कि वर्ष 1968-69 में ही तालाब चमरू के नाम पर अंकि किया गया है, लेकिन ग्रामीणों को निस्तारी अधिकार जारी रहेगा और चमरू द्वारा ग्रामीणों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने पर संहिता 1959 की धारा 253 के तहत 500/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अर्थदंड का उक्त अधिरोपण वैध है और चूंकि प्रतिवादी क्रमांक 5 माधो सिंह ने पंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 10-4-1967 द्वारा चमरू से तालाब खरीदा है, वह अब तालाब का स्वामी है और अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि पर खड़ी फसल को राजसात करने का आदेश सही नहीं है और इसलिए, कलेक्टर, दुर्ग द्वारा 12-3-1986 और 14-3-1986 को पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी नंबर 5 माधो सिंह ने इसके बाद राजस्व अभिलेख से प्रविष्टियों को हटाने के लिए कलेक्टर, दुर्ग के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें वाद-ग्रस्त भूमि को तालाब के रूप में अंकित किया गया है। यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि वह पिछले 15 वर्षों से भूमि पर खेती कर रहा है, इसलिए, निस्तार पत्रक और राजस्व अभिलेख सही किए जाने योग्य हैं। कार्यवाही पूरी होने पर, जिसमें उद्घोषणा निर्गमित करना और आपत्तियां आमंत्रित करना सम्मिलित था, कलेक्टर, दुर्ग ने अपने आदेश दिनांक 23-3-1987 (अनुलग्नक पी-4 का भाग) द्वारा निर्देश दिया कि भूमि को कृषियोग्य घोषित किया जाए और भू-राजस्व तय किया जाए। इस आदेश को अतिरिक्त आयुक्त, रायपुर के समक्ष चुनौती दी गई, जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 14-12-1987 (अनुलग्नक पी-6) के माध्यम से निर्देश दिया कि राजस्व रिकॉर्ड में चमरू के नाम की प्रविष्टि उचित प्रतीत नहीं होती है और विधि के प्रावधानों का ठीक से पालन नहीं किया गया है। कलेक्टर दुर्ग द्वारा दिनांक 23-3-1987 को पारित आदेश निरस्त किया गया। अपर आयुक्त ने निर्देश दिया कि ग्रामीणों को उनका निस्तारी अधिकार मिलता रहेगा। यह अतिरिक्त आयुक्त का 14-12-1987 को पारित आदेश है, जिसे प्रतिवादी संख्या 5 माधो सिंह ने राजस्व मंडल के समक्ष चुनौती दी थी। राजस्व

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मंडल ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और आदेश के पैराग्राफ 13 में कहा है कि कलेक्टर भूमि को कृषियोग्य के रूप में घोषित नहीं कर सकता है और कलेक्टर के आदेश का उक्त भाग अवैध है, हालांकि, राजस्व मंडल ने भू-राजस्व का आकलन करते हुए कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है।

8. अनुलग्नक पी-3, प्रतिवादी क्रमांक 5 माधो सिंह द्वारा कलेक्टर, दुर्ग के समक्ष संहिता, 1959 की धारा 238 और 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया आवेदन है। 18-2-1986 को प्रस्तुत इस आवेदन के माध्यम से राजस्व प्रविष्टियों में संशोधन के लिए माधो सिंह द्वारा राजस्व कार्यवाही का एक नया दौर शुरू किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब निस्तारी के ग्रामीणों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए माधो सिंह के विरुद्ध संहिता, 1959 की धारा 59 के साथ पठित धारा 253 के अंतर्गत कार्रवाई की गई और उन पर 500/- रुपये का जुर्माना लगाया गया और की खड़ी फसलों को राजसात कर लिया गया, तो माधो सिंह ने राजस्व प्रविष्टियों और निस्तार पत्रक में संशोधन के लिए आवेदन (अनुलग्नक पी -3) दिया। उनके स्वयं के प्रकरण के अनुसार, भूमि चमरू की थी, जिसे उन्होंने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया है। इस प्रकार, वह भूमि भूमिस्वामी भूमि थी, जिसे राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में अंकित किया गया था और ग्रामीण अपने निस्तारी अधिकारों का प्रयोग करने के अधिकारी थे। आवेदन संहिता 1959 की धारा 238 एवं 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया

है I

9. संहिता, 1959 की धारा 238 दूसरे गांव की अनुपजाऊ भूमि पर अधिकार के संबंध में प्रावधान करती है जबकि संहिता, 1959 की धारा 32 राजस्व न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में है। स्पष्ट है, ना तो संहिता 1959 की धारा 238 औरना ही धारा 32,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कलेक्टर को राजस्व प्रविष्टियों को बदलने की शक्ति देती है। जब चमरू के स्वामित्व और ग्रामीणों के निस्तारी अधिकारों के संबंध में कार्यवाही पहले ही आदेश दिनांक 13-6-1969 (अनुलग्नक पी-1) के अंतर्गत अंतिम रूप ले चुकी है, जैसा कि अतिरिक्त आयुक्त के आदेश दिनांक 14-12-1987 (अनुलग्नक पी-6) में संदर्भित है, तो राजस्व प्रविष्टियों में बदलाव के लिए माधो सिंह के कहने पर नई कार्यवाही बिल्कुल भी अनुपालन योग्य नहीं थी। संहिता, 1959 के तहत धारा 233 के अंतर्गत खाली भूमि का अभिलेख बनाए रखने का प्रावधान किया गया है, जबकि धारा 234 निस्तार पत्रक तैयार करने के बारे में है। इस प्रावधान के अंतर्गत , निस्तार पत्रक को एक गांव में सभी खाली भूमि के प्रबंधन की योजना को शामिल करते हुए तैयार किया जाना है, विशेष रूप से, संहिता, 1959 की धारा 235 में निर्दिष्ट प्रकरणों में उक्त धारा, यानी, धारा 235 निस्तार पत्रक के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रकरणों को निर्दिष्ट करती है। संहिता, 1959 की धारा 236 फिर से कलेक्टर को कुछ प्रकरणों के लिए निस्तार पत्रक में प्रावधान करने का अधिकार देती है। संहिता, 1959 की धारा 237 के अनार्गत, कलेक्टर को निस्तारी अधिकारों के प्रयोग के लिए भूमि आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। ये सभी प्रावधान गांव की खाली पड़ी भूमि पर लागू होते हैं, जबकि वर्तमान प्रकरण में माधो सिंह का स्वमं का प्रकरण था कि भूमि पहले चमरू की थी, जिसने उसे विक्रय कर दी थी, अर्थात वह भूमि रिक्त भूमि नहीं है। इसलिए, अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश 14-12-1987 (अनुलग्नक पी-6) ने सही माना है कि कलेक्टर, दुर्ग भूमि को कृषियोग्य के रूप में दर्ज करने और भू-राजस्व निश्चित करने का आदेश नहीं दे सकते थे। इस सीमा तक राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटेलेक्चुअल फोरम, तिरुपति विरूद्ध आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य,[(2006) 3 एससीसी 549] में माना है कि जल निकायों को बचाया और संरक्षित किया जाना चाहिए। पुनश्चय, सुसेथा विरुद्ध तमिलनाडु राज्य और अन्य,[(2006) 6

एससीसी 543], में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जल निकायों/संसाधनों के संरक्षण के बारे में चिंता व्यक्त की है और राज्य और ग्राम पंचायतों को यह देखने का भी निर्देश दिया है कि ग्रामीणों और उनके आसपास के तालाबों का उचित रखरखाव किया जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि पानी की कमी न हो और पर्यावरण भी संरक्षित रहे।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के दृष्टि में रखते हुये और संहिता, 1959 के अंतर्गत वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप के योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. परिणामस्वरुप, यह निर्देशित किया जाता है कि वाद-ग्रस्त तालाब, प्रतिवादी संख्या 5 माधो सिंह के नाम पर दर्ज किया जाना निरंतर रहेगा, जिन्होंने इसे चमरू से क्रय था, जिसके पक्ष में आदेश दिनांक 13-6-1969 (अनुलग्नक पी-1) आयुक्त द्वारा पारित किया गया था; रायपुर मंडल, जो अंतिम हो गया है। यह भी आदेश दिया गया है कि ग्रामीण तालाब पर अपने निस्तारी अधिकारों का प्रयोग करेंगे और 23-3-1987 को कलेक्टर, दुर्ग द्वारा राजस्व प्रविष्टियों में परिवर्तन को अपील प्रकरण क्रमांक 221/ए- 74/86-87 (अनुलग्नक पी-6) में अतिरिक्त आयुक्त, रायपुर द्वारा उचित रूप से निरस्त कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व निर्धारण संबंधी आदेश को भी अनुलग्नक पी-6 द्वारा सही ठहराया गया है। अत: वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

ऊपर दिए गए निर्देशों के दृष्टि में रखते हुये, राजस्व मंडल द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरिस्त किया जाता है। वादव्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं किया गया है I

हस्ता/-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Ankita Shrivastava